न्यायालय - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- विकास मारग,RJS
प्रकरण संख्या (CIS):- 306/2024 रे०फौ०
प्र०सू०रि० संख्या- 05/2024 थाना प्रतापगढ
राजस्थान राज्य

बनाम

श्यामलाल पुत्र केशुराम, तत्समय उम्र-30 वर्ष, निवासी
हथनीकुडी, पुलिस थाना देवगढ, जिला प्रतापगढ (राज०) ..अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा-4/25 आयूध अधिनियम-1959

उपस्थिति:-

1. अभियोजन अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री शेरसिंह राव, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त पक्ष।

:: निर्णय:: **दिनांकः08/04/2026**

1 यह आरोप-पत्र पुलिस थाना प्रतापगढ द्वारा जरिये अभियोजन अधिकारी अभियुक्त श्यामलाल के विरूद्व आरोपित अपराध तहत धारा-4/25 आयुध अधिनियम में दिनांक-16/03/2024 को न्यायालय हाजा में पेश किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर नियमित अपराधिक प्रकरण के रूप में किया गया।

2 संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी रामावतार, ASI,पुलिस थाना प्रतापगढ ने एक लिखित रिपोर्ट दिनांक-02/01/2024 को इस आशय की पेश की कि उक्त दिनांक को समय-01.57PM वह थाने से मय जाब्ता मय अनुसंधान सामग्री मय सरकारी वाहन रवाना होकर थाने के सामने पहूंच नाकाबंदी कर रहा था। वहाँ-02.10PM मुखबीर की सूचना मिलने पर वह-02.45PM वाटर वर्क्स रोड प्रतापगढ पहूंचा, जहाँ एक व्यक्ति को जाब्ता ने घेरा देकर पकडा नाम पता पूछा तो उसने नाम श्यामलाल पुत्र केशुराम निवासी हथनीकुडी का होना बताया। उक्त व्यक्ति के पास मिले एक नंगी धार दार छूर्री को कब्जे पुलिस लेकर उसका नाप करने के पश्चात् वैध अनुज्ञा-पत्र बाबत् पूछने पर नहीं होना बताया। अभियुक्त श्यामलाल का कृत्य धारा-4/25 आयुध अधिनियम में दंडनीय अपराध होने से छूर्री को जरिये फर्द जब्त कर अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया एवं बाद विधिक कार्यवाही अभियुक्त को मय आयुध मय रिपोर्ट पुलिस थाना प्रतापगढ पर पेश किया... वगैरह।

3 उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना प्रतापगढ ने FIR NO. 05/2024 अपराध अंतर्गत धारा-4/25 आयुध अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया तथा बाद सम्पूर्ण अनुसंधान अभियुक्त श्यामलाल के विरूद्व अप-राध तहत धारा-4/25 आयूध अधिनियम में अपराध प्रमाणित पाया जाने पर

आरोप-पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त श्यामलाल के विरूद्व मामला प्रथम दृष्ट्या बनना पाया जाने पर न्यायालय द्वारा अपराध तहत धारा-4/25 आयूध अधिनियम में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4 बहस आरोप सुनने के पश्चात् अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा-4/25 आयूध अधिनियम के अपराध का आरोप लिखित रूप से सुनाया एवं समझाया गया जिसे अभियुक्त ने सुन एवं समझ कर अस्वीकार कर अंवीक्षा चाही।

5 अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में साक्षीगण पी०ड० 1 रामावतार,पी०ड० 2 युगराज, पी०ड० 3 दुर्गाप्रसाद, पी०ड० 4 कमलेश कुमार, पी०ड० 5 अमरचन्द को परीक्षित करवाया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-6 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया।

6 अभियुक्त श्यामलाल को धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत बताया एवं साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया, जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

7 बहस अंतिम सुनी गयी। बहस के दौरान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन साक्षियों के बयानों में गम्भीर विरोधाभास आये हैं। जब्ती के साक्षीगण पुलिसकर्मी हैं, जो विभागीय कर्मचारी होकर हित बद्व गवाह हैं। अभियोजन पक्ष, अभियुक्त श्यामलाल के कब्जे से धारदार छूरीं खुले स्थान से बरामदगी को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है। अतः अभि-युक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे। जबकि अभियोजन अधिकारी ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए मामला पूर्णतया युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होने का कथन कर अभियुक्त को दोषसिद्व घोषित किये जाने का निवेदन किया।

8 उभय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन-अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि-

1 क्या दिनांक-02/01/2024 को समय 02.55PM या इसके आसपास मौजा प्रतापगढ स्थित वाटर वर्क्स रोड पर परिवादी रामावतार-ASI ने मय जाब्ता अभियुक्त श्यामलाल के भौतिक संज्ञान कब्जे से परिवहन करते हुए अभियुक्त से एक नंगी धारदार छूरीं जिसके फल की लम्बाई-15 इंच, हत्थे की लम्बाई-9 इंच कुल-24 इंच व फल के मध्य की चौडाई दो CM बिना विधिक अनुज्ञा-पत्र दस्तयाब की?

2 यदि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित पाया जाता है तो अभियुक्त के लिये न्यायोचित दण्ड क्या होगा ?

9 हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त अवधारणीय बिन्दु को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है, जिसके संबंध में उनके द्वारा कुल पाँच साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है। साक्षी पी०ड० 1 रामावतार ने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी कि दिनांक-02/01/2024 वह मय जाब्ता मय अनुसंधान सामग्री व सरकारी वाहन के थाने से नाकाबंदी हेतु-1.57PM रवाना होकर थाने के सामने MV ACT की कार्यवाही कर रहा था कि समय-02.10PM पर मुखबीर की सूचना पर वह-02.45PM पर वाटर वर्क्स रोड पहूंचा,वहाँ अभियुक्त श्यामलाल को बिना विधिक अनुज्ञा-पत्र धारदार नंगी छूर्री सहित पकडा उक्त धारदार फल की लम्बाई-15 इंच, हत्थे की लम्बाई-9 इंच कुल लम्बाई-24 इंच पायी,उसे प्रदर्श पी-1 से जब्त कर उसे प्रदर्श पी-2 से गिरफ्तार किया एवं थाने पहूंच रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 पेश की, चाक FIR प्रदर्श पी-4 कता की गई, नक्शा मौका प्रदर्श पी-5 है उक्त फर्दों पर उसके हस्ताक्षर है। रवानगी रपट प्रदर्श पी-6 हैं। जिरह में साक्षी इस तथ्य को सही कहता है कि कार्यवाही उसने स्वतन्त्र मौतबीर की तलबी करने की कोशिश की लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। श्यामलाल गाँव का रहने वाला है और घटनास्थल आबादी क्षैत्र है। इस प्रकार जिरह में साक्षी की साक्ष्य अखण्डनीय रही है।

10 प्रकरण में परीक्षित अन्य चक्षुदर्शी साक्षी पी०ड० 2 युगराज कानि. ने इस आशय की साक्ष्य दी कि दिनांक-02/01/2024 को दौराने नाकाबंदी रामावतार-ASI को मुखबीर की सूचना मिलने पर वे समय-2.45PM वाटर वर्क्स रोड पहूंचे, वहां अभियुक्त श्यामलाल के कब्जे से बिना विधिक अनुज्ञा-पत्र एक धारदार छूर्री प्रदर्श पी-1 से जब्त कर अभियुक्त को प्रदर्श पी-2 से गिरफ्तार किया नक्शा मौका प्रदर्श पी-5 बनाया सभी फर्दों पर अपने हस्ताक्षर बताये। रवानगी रपट प्रदर्श पी-6 है। जिरह में साक्षी कथन करता है कि ए.एस.आई. ने उन्हें सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया था। मौके पर स्वतन्त्र मौतबीर नहीं मिले थे।जिरह में साक्षी की साक्ष्य अखण्डनीय रही है।

11 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 3 दुर्गाप्रसाद ने इस आशय की साक्ष्य दी कि दिनांक-02/01/2024 को प्रकरण संख्या-05/2024 में रामावतार स.उ.नि. ने जब्तशुदा एक सफेद कपडे की थैली में धारदार छूर्री उसे सुपुर्द की जिसे मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-7 में क्रम संख्या-4 पर दर्ज कर मालखाना में सुरक्षित रखी रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी-7 ए है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जिरह में साक्षी इस तथ्य को सही कहता है कि उसका छूर्री देखने का काम नहीं पडा था।

12 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 4 कमलेश कुमार-ASI अनुसंधान अधिकारी ने सशपथ साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक-02/01/2024 को प्रकरण संख्या-05/2024 की रिपोर्ट परिवादी रामावतार द्वारा पेश की जिसका अनुसंधान उसके जिम्मे हुआ उसने गवाहान के कहेनुसार बयानात लिये नक्शा मौका प्रदर्श पी-5 बनाया, अभियुक्त श्यामलाल के विरूद्व धारा-4/

25 आयूध अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात् चार्जशीट थानाधिकारी को पेश की जिन्होनें चालान पेश किया। जिरह में साक्षी कथन करता है कि यह सही है कि मौके पर स्वतन्त्र मौतबीर आसानी से उपलब्ध हो सकते है घटनास्थल के दोनों साक्षीगण पुलिसकर्मी है। उसने स्वतन्त्र मौतबीर बनाने का प्रयास किया परन्तु कानूनी पेचिदगियों में फंसने से कोई तैयार नहीं हुआ था।

13 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 5 अमरचन्द कानि.ने साक्ष्य दी कि दिनांक-02/01/2024 को दौराने नाकाबंदी रामावतार-ASI को मुख बीर की सूचना मिलने पर वे-2.45PM वाटर वर्क्स रोड पहूंचे, वहां अभि युक्त श्यामलाल के कब्जे से बिना विधिक अनुज्ञा-पत्र एक धारदार छूरीं प्रदर्श पी-1 से जब्त की गई, अभियुक्त को प्रदर्श पी-2 से गिरफ्तार किया नक्शा मौका प्रदर्श पी-5 बनाया सभी फर्दों पर अपने हस्ताक्षर बताये। रवानगी रपट प्रदर्श पी-6 है। जिरह में साक्षी कथन करता है कि यह सही है कि धारदार हथियार छूरीं थी। मौके पर स्वतन्त्र व्यक्ति नहीं मिले थे। जिरह में साक्षी की साक्ष्य अखण्डनीय रही है।

14 पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का बहस के सन्दर्भ में सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्त श्यामलाल के सचैतन कब्जे से एक धारदार नंगी छूरीं बिना विधिक अनुज्ञा-पत्र दस्तयाब की गई। इस सम्बन्ध में स्वयं परि-वादी पी०ड० 1 रामावतार तथा जब्ती मौके की कार्यवाही के सदस्यगण पी०ड० 2 युगराज एवं पी०ड० 5 अमरचन्द्र ने एक स्वर में कथन किये हैं कि दिनांक-02/01/2024 को अभियुक्त श्यामलाल के भौतिक संज्ञान कब्जे से एक धारदार छुरीं बिना वैध अनुज्ञप्ति-पत्र के दस्तयाब की गई। इसके अलावा इस सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई बचाव नहीं लिया गया है कि छुरीं जब्ती के पश्चात थाने में जमा न हुई हो। साक्षी पी०ड० 3 दुर्गा प्रसाद ने अभियुक्त से जब्त नंगी छूरीं को मालखाना में जमा करना बताया है। इसी प्रकार प्रकरण के अंवेषण अधिकारी पी०ड० 4 कमलेश कुमार ने बाद सम्पूर्ण अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्व धारा-4/25 आयुध अधिनियम के अप राध प्रमाणित पाये जाने पर चालान हेतु पत्रावली थानाधिकारी को पेश करने व उनके द्वारा चालान न्यायालय में पेश करने की सकारात्मक साक्ष्य दी है। अभियुक्त के पास उक्त अवैध छूरीं को अपने कब्जें में रखने बाबत् किसी प्रकार का वैध अनुज्ञा-पत्र या लाईसेन्स नहीं पाया गया और न ही ऐसा कोई अनुज्ञा पत्र दौराने अन्वीक्षा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण घटनास्थल मौका प्रदर्श पी-5 की समपुष्टि पी०ड० 1 रामावतार, पी० ड० 2 युगराज, पी०ड० 4 कमलेश कुमार एवं पी०ड० 5 अमरचन्द्र द्वारा सशपथ बयान में पूर्ण रूप से की गई हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा श्रृंखला बद्व रूप से प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य यथा प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-6 से भी अभि

योजन का मामला पूर्ण रुप से साबित होता है। अतः अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से अपने कब्जे में बिना परमिट के छुर्री रखने का तथ्य पुष्ट हो जाता हैं।

15 जहां तक प्रश्न अधिवक्ता अभियुक्त के इस तर्क का है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित अधिकतर साक्षीगण पुलिस विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी होकर हितबद्व गवाह हैं, जिनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में न्यायालय के विनम्र मतानुसार जबकि विभागीय साक्षीगण ने बतौर लोकसेवक अपने द्वारा या अपने समक्ष की गयी कार्यवाही को न्यायालय के समक्ष सशपथ बयान किया है,तो इस स्थिति में किसी विपरित साक्ष्य के अभाव में केवल मात्र विभागीय साक्षीगण होने से उनकी साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। उक्त गवाह -गण की साक्ष्य अखण्डित रही है, व ऐसे कोई तथ्य भी पत्रावली पर नहीं आ पाये हैं, जो प्रकरण की जड़ तक जाकर अभियोजन कहानी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हो या अभियुक्त को प्रकरण में झूंठा संलिप्त किया जाना प्रकट करते हो। अभियुक्त द्वारा बरामदगी का कोई खण्डन नहीं किया गया है।

16 इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अभियोजन पक्ष अभियुक्त को आरोपित अपराध से जोडने में व उसके विरूद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः अभियुक्त श्यामलाल आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-4/25 आयूध अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

17 अतःअभियुक्त अभियुक्त श्यामलाल पुत्र केशुराम, तत्समय उम्र-30 वर्ष, निवासी हथनीकुडी, पुलिस थाना देवगढ, जिला प्रतापगढ(राज०) को अपराध अन्तर्गत धारा-4/25 आयूध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर पूर्व प्रस्तुतशुदा जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

(विकास मारग)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ (राज.)

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई व दण्डादेश

18 विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त श्यामलाल ने तर्क दिया कि अभियुक्त का यह प्रथम दोषसिद्व अपराध है। अभियुक्त ग्रामीण परिवेश का गरीब मजदूरी पेशा अशिक्षित व्यक्ति है। अभियुक्त अन्य किसी समान प्रकृति के अपराध में न तो कभी संलिप्त रहा और ना ही किसी अन्य प्रकरण में दोषसिद्व रहा है। अभियुक्त हस्तगत प्रकरण में सन्-2024 से अंवीक्षा का सामना करते आ रहा है। अतःअभियुक्त श्यामलाल को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा कि अभियुक्त को उचित दंड से दंडित किया जावे।

19 उभय पक्षकारान को सुना गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अव-लोकन किया गया। अभियुक्त का ग्रामीण परिवेश का गरीब, मजदूरी पेशा, अशिक्षित व्यक्ति होना दर्शित होता है। अभियुक्त का अन्य किसी समान प्रकृति के अपराध में संलिप्त रहने व उसका प्रकरण की अंवीक्षा का सामना पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है। अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्दि बाबत् कोई अभि-लेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त के अभिरक्षा में निरूद्व हो जाने से उसके सामाजिक, पारिवारिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पडने की संभावना है। अतः अभियुक्त के पूर्ववृत्त, सामाजिक पृष्ठभूमि, आयु, शील एवं प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: दण्डादेश::

20 फलतः अभियुक्त श्यामलाल पुत्र केशुराम, तत्समय उम्र-30 वर्ष, निवासी हथनीकुडी, पुलिस थाना देवगढ,जिला प्रतापगढ(राज०)को अपराध तहत धारा-4/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्दि उपरान्त अपराधी परि-वीक्षा अधिनियम की धारा-4(1)के तहत लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त की ओर से-₹10,000/-की जमानत व इसी कदर राशि का निजी बंध-पत्र छः माह की अवधि हेतु इन शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे कि वह इस अवधि में शांति व सद्व्यवहार बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा एवं न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर न्यायालय में उपस्थित होकर दण्डादेश प्राप्त करेगा व परिवीक्षा अधिनियम की धारा-5 के तहत अभियुक्त अभियोजन व्यय के रूप में-₹500/-(अक्षरे पाँच सौ रूपये) न्यायालय में जमा करायेगा तो उसे परिवीक्षा पर छोड दिया जाये।

21 हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा छूरीं नियमानुसार बाद गुजरने मियाद अपील, अपील न होने की सुरत में नष्ट की जावे।

22 अभियुक्त श्यामलाल के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत-मुचलके-₹10,000/-₹10,000/-के मय शपथ-पत्र माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ धारा-481 BNSS के तहत आगामी-6 माह की अवधि के लिए प्रस्तुत कर संतोषप्रद तरीके से तस्दीक कराये जावे।

(विकास मारग)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ (राज.)

23 निर्णय आज दिनांक-08/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर सुनाया गया।

(विकास मारग)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ (राज.)